

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा

आर0एम0ए0 नं0 41/2013-14

कालीचरण दुडू

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

आदेश


दिनांक-28.11.2017


पुकार पर उभय पक्ष अनुपस्थित।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाते हैं कि अपीलकर्ता दिनांक-03.11.2015 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलकर्ता को इस वाद के प्रति कोई अभिरुची नहीं है। केवल न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है।

अतः विचारोपरान्त अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड्डा।


उपायुक्त,
गोड्डा।